न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 28/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00133

अनवान्

1. श्री बाबुलाल पिता डालचन्द उर्फ फतेहलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी माणक्यावास तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालचन्द उर्फ फतेहलाल पिता धनराज उर्फ धन्ना पुरोहित ब्राहम्ण निवासी माणक्यावास तहसील मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता डालचन्द उर्फ फतेहलाल पुरोहित ब्राहम्ण निवासी माणक्यावास तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.01.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 457, 473 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम 2/3 हिस्सानुसार दर्ज है जो कुलिया हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1289, 1325, 1329 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सानुसार दर्ज है जो कुलिया हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1950, 1951, 1955, 1957, 1959 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम खातेदारी से दर्ज हैं जो पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज थी। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1317, 1318, 1319, 1326,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

1328, 1345, 1459, 1460, 1461, 1908, 1913 किता 11 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सानुसार दर्ज है जो कुलिया हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1728, 1729, 1745, 1746 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सानुसार दर्ज है जो कुलिया हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 1288 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सानुसार दर्ज है जो कुलिया हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

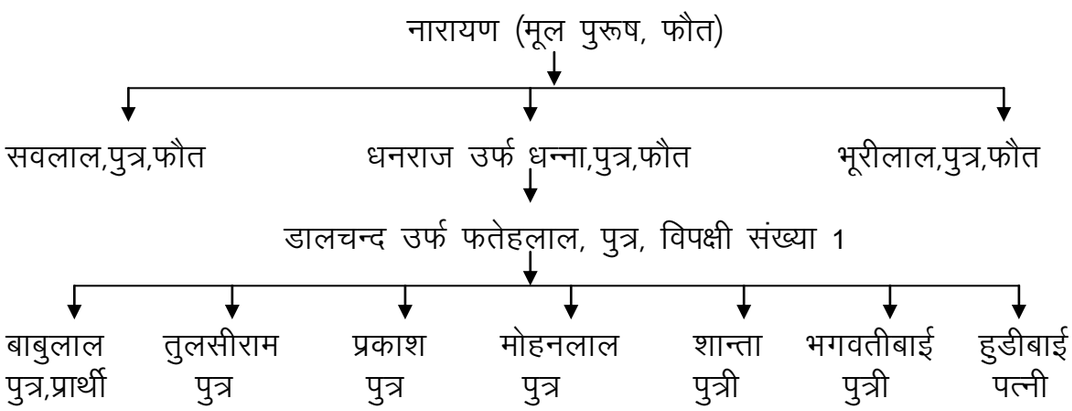

उक्त सजरे अनुसार नारायण जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र सवलाल, धनराज उर्फ धन्ना, भूरीलाल हुए। सवलाल, धनराज उर्फ धन्ना, भूरीलाल का निधन हो चुका हैं। धनराज उर्फ धन्ना के वारिस पुत्र डालचन्द उर्फ फतेहलाल हुआ। डालचन्द उर्फ फतेहलाल के वारिस पुत्र बाबुलाल प्रार्थी, तुलसीराम, प्रकाश, मोहनलाल तथा पुत्रीयां शान्ता, भगवतीबाई एवं पत्नी हुडीबाई हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात जो मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य वारिसान की पैतृक सम्पति है जो पूर्व में हमारे मौरूस धनराज उर्फ धन्ना पिता नारायण के नाम पर दर्ज थी तथा उनके निधनोपरान्त उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र डालचन्द उर्फ फतेहलाल (जो मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 के पिता है) के नाम पर विरासत से अंकित हुई हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि में मुझ प्रार्थी की जो पैतृक सम्पति है उस पर मुझ प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा, उपयोग उपभोग चल रहा है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

कोई हक व अधिकार नहीं हैं लेकिन हमारी पैतृक भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 ने इसका नाजायज फायदा उठा मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क, ख, ग, घ, च में वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा को दिनांक 01.06.2020 को एवं परिशिष्ट छ में वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा को दिनांक 05.12.2019 को विपक्षी संख्या 2 को अलग–अलग नुमाईशी दान पत्र के जरिये दान कर दिया और विपक्षी संख्या 2 ने नुमाईशी दान पत्र के जरिये नामान्तरकरण संख्या 725 व 720 खुलवाकर उक्त भूमि को अपने नाम पर अंकित भी करवा दी है जबकि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमियो में अपने हिस्से से अधिक भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा नुमाईशी दान पत्र में विपक्षी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य भी अंकित किया है जबकि विपक्षी संख्या 2 को मौके पर कभी भी कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है क्योंकि मैं प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 ने जो दान पत्र सम्पादित कराये है जो मुझ प्रार्थी के पैतृक सम्पति में निहित हक अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी है। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से मुझ प्रार्थी के नाम हिस्सानुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 ने इसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 ने परिशिष्ट क, ख, ग, घ, च, छ में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में अलग–अलग नुमाईशी दान पत्र सम्पादित कर भूमि हस्तान्तरित कर दी और नुमाईशी दान पत्र के जरिए उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 ने अपने नाम पर रेकार्ड में भी अंकित करा दी है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब विपक्षी संख्या 1, 2 मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगे और विपक्षी संख्या 1 ने तो यह भी धमकी दी कि तुम कब्जा नहीं हटाओगे तो मै इस जमीन को ऐसे लोगो को बेच दूंगा जो लाठी के बल पर तुमको यहां से हटाकर कब्जा कर देगें। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

हूं कि विपक्षी संख्या 1, 2 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को अतुलनीय व अपरिमित क्षति व हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 09.07.2020 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की पैतृक जमीन से बेदखल करने एवं जमीन को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे। विपक्षी संख्या 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी संख्या 5 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 3, 4 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया।

9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी अधिकार की भूमि थी। खातेदार विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र विपक्षी को दे दी। खातेदार को अपनी भूमि दान के रूप में देना का पूर्ण अधिकार था। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कि[illegible] का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 2 के नाम उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड दान से हुई है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पैतृक भूमि बताकर प्रकरण प्रस्तुत किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित होती हो। विपक्षी संख्या 2 रिकॉर्डेड खातेदार है रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी संख्या 2 है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपनी खातेदारी भूमि विकास करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। जिससे उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।
3. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा माणक्यावास हल्का मांगथला तहसील मावली हाल घासा की 457, 473 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम 2/3 हिस्से एवं शेष भूमि अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1289, 1325, 1329 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्से से एवं शेष भूमि अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1950, 1951, 1955, 1957, 1959 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1317, 1318, 1319, 1326, 1328, 1345, 1459, 1460, 1461, 1908, 1913 किता 11 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है तथा शेष भूमि अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1728, 1729, 1745, 1746 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1288 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र विपक्षी संख्या 2 को दान कर देने से वर्तमान रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में पूर्व में हमारे मौरूस धनराज उर्फ धन्ना के नाम दर्ज थी जो विरासत से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का दान करने का कोई अधिकार नही था। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतित होता हो कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र मौखिक कथन कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 खातेदार था तथा खातेदार को अपनी भूमि का दान करने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 2 वर्तमान में खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा प्रार्थी का है तथा विपक्षी संख्या 1, 2 का बाहुबल से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। इस संबंध मे भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का हो। वैसे भी प्रकरण प्रार्थी द्वारा 06.08.2020 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण में किसी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नही थी। यदि विपक्षीगण बाहुबल के आधार पर कब्जा करते तो अवश्य ही प्रार्थी के पास कोई साक्ष्य होता जो पत्रावली में प्रस्तुत करता। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा ऐसा नही किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्राथीगण के पक्ष में साबित हुए है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली